| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| | **साधिकार प्रकाशित** | ***Published by Authority*** |
| | भाद्र 12, गुरूवार, शाके 1942–सितम्बर 3, 2020<br>*Bhadra 12, Thursday, Saka 1942–September 3, 2020* | |


**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**कृषि (ग्रुप-2) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, फरवरी 03, 2020**

**संख्या प. 4(35)कृषि/ग्रुप-2/2019** :-राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वर्तमान में कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल में नगरपालिका, बहरोड़ का सम्पूर्ण क्षेत्र व पंचायत समिति, बहरोड एवं पंचायत समिति, नीमराना के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति, बहरोड के नाम से स्थापित करने के आशय की घोषणा करती है।

इस संबंध में प्रत्येक आपत्ति अथवा सुझाव पर, जो इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह की अवधि में राज्य सरकार के पास पहुंचेगें, राज्य सरकार द्वारा उन आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जावेगा।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**
लाल चन्द गुर्जर,
**उप शासन सचिव।**


**5637**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।**